न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः–02/2020 निर्णय दिनांकः– 19.08.2020

उनवान

शहजाद पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत बिलोता जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिलोता पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 25.11.2019
ग्राम पंचायत बिलोता तहसील उनियारा जिला टोंक

उपस्थितः– श्री बरकतुल्ला खान वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी खसरा संख्या 321 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.09 है0 कुल किता 2 रकबा 0.44 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 वाके ग्राम उमरपुरा तहसील उनियारा को खातेदारान से जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 20/11/2019 को अपीलान्ट ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का बिलोता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 344 दर्ज कर रिपोर्ट गिरदावर करवाने के बाद दिनांक 25/11/2019 को ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा मनमाने ढंग से निर्णय कर नामान्तरकरण को अस्वीकार किया गया है। अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 344 के निर्णय ग्राम पंचायत दिनांक 25.11.2019 को निरस्त कर तहसीलदार उनियारा को नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान करे।

उक्त अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बावजूद तामील नोटिस रेस्पोडेन्ट के उपस्थित नही हुये है। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के वकील ने अपील मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 344 जो पंजीबद्व विक्रय पत्र के अनुसार बिल्कुल सही भरा गया था। जिस पर ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा दिनांक 25.11.2019 को अस्वीकार करने का जो निर्णय लिया गया वह विधि के विरुद्व है। अतः निर्णय ग्राम पंचायत बिलोता को निरस्त कर नामान्तरकरण तहसीलदार उनियारा तस्दीक करने हेतु आदेश प्रदान करे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्व विक्रय पत्र में खातेदारन कमरुन्निसा पुत्री मून्नु खां, पत्नि करीम खां, जेबून्निसा पुत्री नुन्नू खां पत्नि फय्याज खां, सबरुन्निसा पुत्री समरुन्निसा पुत्री समर मिंया पत्नि सलीम खां ने अपनी खातेदारी की भुमि खसरा नम्बर 321 रकबा 0.35 है., 322 रकबा 0.09 है0 कुल किता

उप खण्ड अधिकारी

2 रकबा 0.44 हैक्टर में हिस्सा 1/2 वाके ग्राम उमरपुरा पटवार मण्डल बिलोता का बेचान शहजाद पुत्र नीर मोहम्मद निवासी अलीगढ को करके कब्जा संभलवा दिया था। विक्रय पत्र दिनांक 20/11/2019 को उपपंजीयक उनियारा में क्रम संख्या 201903049100511 पर पंजीबद्व है। जिसकी पालना में पटवारी हल्का बिलोता द्वारा दिनांक 21.11.2019 को ग्राम उमरपुरा का नामान्तरकरण संख्या 344 दर्ज किया जाकर दिनांक 25.11.2019 को जांच भु अभिलेख निरीक्षक करवाई गई थी। दिनांक 25.11.2019 को ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकार कर दिया गया। नामान्तरकरण पंजीबद्व विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें जांच भू अभिलेख निरीक्षक भी सकारात्मक दर्ज है। फिर भी नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

इससे यह बखूबी साबित है कि नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम उमरपुरा बिल्कुल सही भरा गया था। किन्तु बिना किसी कारण के एंव अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये नामान्तरकरण को अस्वीकार किया गया है जिसका कोई उचित कारण भी ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में अंकित नही किया है। जबकि भू राजस्व नियमो के अनुसार नामान्तरकरण को विस्तृत निर्णय जिसमें निर्णय के कारणो का तथा सुने गये पक्षो का स्पष्ट उल्लेख किया जाकर नामान्तरकरण पर दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 344 ग्राम उमरपुरा पर ग्राम पंचायत बिलोत द्वारा दिनांक 25.11.2019 को किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त नामान्तकरण की पुनः जाच कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये 15 दिवस में नियमानुकुल निर्णय पारित कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करवाये। यह निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा